NBT नवभारत टाइम्स

स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी

Poonam.Pandey@timesgroup.com

■ **नई दिल्ली :** प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री और चाइल्ड राइट्स की टॉप बॉडी ने मिलकर नया नियम बनाया है। स्कूल में बच्चों की सेफ्टी और सिक्युरिटी सुनिश्चित करने के लिए बने नियम के मुताबिक किसी भी स्कूल को अब स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा।

सुरक्षा प्राथमिकता होगी : नैशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) ने इस दिशा में पहल की, जिसके बाद एनसीपीसीआर ने एचआरडी मिनिस्ट्री के अधिकारियों और सभी एजुकेशन बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। एनसीपीसीआर मेंबर प्रियंक कानूनगो ने एनबीटी से खास बातचीत में बताया कि बैठक में तय किया गया कि सेफ्टी और सिक्युरिटी गाइडलाइन में एक नया पॉइंट जोड़ा जाए, जिसके मुताबिक अब किसी भी स्कूल को, चाहे वह प्राइवेट स्कूल है, उसे स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए और स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर के लिए एसएआई और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा।

स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर रखना होगा : उन्होंने कहा कि इसे इसी ऐकडेमिक ईयर से लागू किया जाएगा। सभी एजुकेशन बोर्ड इसके लिए तैयार हैं। प्रियंक ने कहा कि 'अगर कोई स्कूल स्पेसिफिक स्पोर्ट्स करा रहा है तो उसे उसी स्पोर्ट्स से जुड़ा इंस्ट्रक्टर रखना होगा। यह नहीं चलेगा कि एक एथलीट स्पोर्ट्स टीचर हैं और वही स्वीमिंग के लिए भी इंस्ट्रक्टर है।' उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में सेफ्टी की ज्यादा दिक्कत है क्योंकि वह स्कूल का स्टेटस बड़ा दिखाने के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन नियमों के मुताबिक काम न होने से बच्चों की सुरक्षा का खतरा बना रहता है।

देखरेख जरूरी : प्रियंका ने कहा कि कई स्कूलों में विजिट के दौरान हमने देखा कि स्वीमिंग जैसी कई दूसरी स्पोर्ट्स फैसिलिटी बना दी गई हैं, लेकिन उनकी फिर देखरेख नहीं की जाती, जो खतरा बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि मीटिंग में एचआरडी मिनिस्ट्री के अधिकारी और एजुकेशन बोर्ड के प्रतिनिधि भी इस पर एक राय थे कि अगर प्राइवेट स्कूलों ने सेफ्टी और सिक्युरिटी गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो उन पर भारी फाइन लगाने के साथ ही उनका संबंधित बोर्ड से एफिलिएशन खत्म करने जैसा कदम उठाया जा सकता है।